निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 03/2019 अपील
दायरा दिनांक 05.11.2019
निर्णय दिनांक :– 31.8.21

उनवान

श्रीमति पार्वतीबाई पत्नी रामकिशन जाति मीना निवासी बामनहेडा तहसील बारां।

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा तहसील बारां

अपील इन्तकाल नंबर 494
निर्णय दिनांक :– 31.8.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र सुमन एड़वोकेट– अपीलान्ट

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नंबर 494 विरूद्व रेस्पोडेन्ट के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम करनाहेडा तहसील बारां मे आराजी खसरा नंबर 106 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नंबर 237 रकबा 0.14 हेक्टेयर खसरा नंबर 238 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 248 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नंबर 245 रकबा 0.75 हेक्टेयर कुल किता 6 रकबा 1.13 हेक्टेयर जो रामदयाल, कमलेश पुत्र मांग्या हिस्सा 2/3 ग्यारसीबाई बेवा मांग्या, मनभरबाई, भूलीबाई, भवरबाई हिस्सा 1/3 जाति भील सा. देह स्थित है। उक्त वर्णित आराजी मे से खसरा नंबर 245 रकबा 0.75 हेक्टेयर ग्राम करनाहेडा के खातेदारान रामदयाल, कमलेश, ग्यारसीबाई, मनभर बाई, भूली बाई उर्फ धूलीबाई व भवरबाई जाति भील निवासी करनाहेडा ने जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2009 से अपीलान्ट पार्वती बाई को बेचान किया था, लेकिन रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ग्राम पंचायत करना हेडा द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल नंबर 494 तस्दीक करते समय अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई, आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 0.75 हेक्टेयर ग्राम करनाहेडा तहसील बारां सम्पूर्ण आराजी पर अपीलान्ट का नाम दर्ज न करते हुये केवल 2/3 हिस्से पर अपीलान्ट का व भोश हिस्से पर ग्यारसीबाई भूली बाई, भवरी बाई, मनभर बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है, जबकि अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 0.75 हेक्टेयर सम्पूर्ण आराजी को खरीद किया था। बाद खरीद से अपीलान्ट ही उक्त सम्पूर्ण आराजी पर काबिज काश्त करती चली आ रही है। इसलिए ग्राम पंचायत करनाहेडा द्वारा खोले गये इन्तकाल नंबर 494 दिनांक 22.09.2009 के विरूद्व यह अपील माननीय न्यायालय मे पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत करनाहेडा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

प्रकार से अवलोकन नही करते हुये उक्त इन्तकाल खोला जाकर तस्दीक किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत करनाहेडा द्वारा खोले गये नामान्तकरण 494 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2009 से खरीद की गई, आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 0.75 हेक्टेयर वाके ग्राम करनाहेडा के हाल राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 97 से ग्यारसी बाई, पार्वतीबाई, भूलीबाई, मनभर बाई का नाम डिलीट किया जाकर आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 0.75 हेक्टेयर सम्पूर्ण पर अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा। अपीलान्ट द्वारा केसीसी ऋण हेतु नकल लेने पर व उसमे सम्पूर्ण खसरा नंबर पर अपीलान्ट का नाम दर्ज न होने से दिनांक 21.09.2019 को इन्तकाल की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई। इसलिए इन्तकाल 22.09.2019 से जानकारी दिनांक 21.09.2019 तक का समय अपील की अवधि मे से मुजरा किये जाने पर अपील अवधि मध्य पेश है, तथा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 05.03.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तकरण संख्या 494 ग्राम करनाहेडा, नकल विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2009 पेश की गई। नकल जमाबन्दी ग्राम करनाहेडा सम्वत् 2072 पेश की गई। तहसीलदार बारा से उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया गया। तहसीलदार बारा द्वारा नकल नामान्तकरण 494 दिनांक 22.09.2019 वाके ग्राम करनाहेडा पेश की गई।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाशक अपीलान्ट द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है, कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नंबर 245 रकबा 0.75 हेक्टयर भूमि खातेदार रामदयाल, कमलेश, ग्यारसीबाई, मनभर बाई, भूलीबाई, व भवरबाई से जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2019 से खरीद की थी, परन्तु उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण खोलते समय सम्पूर्ण आराजी पर अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण में दर्ज न करके 2/3 हिस्सा पर ही नाम दर्ज किया गया। जबकि सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट द्वारा क्रय की गई थी। अपीलान्ट उक्त भूमि पर क्रय के बाद से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट को केसीसी हेतु नकल निकलवाने पर ज्ञात हुआ, कि अपीलान्ट का नाम मात्र 2/3 हिस्से पर ही दर्ज है, जबकि खसरा नंबर 245 की सम्पूर्ण भूमि क्रय की गई थी। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 494 खारिज किया जाकर मुताबिक विक्रय पत्र पुनः नामान्तकरण खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 22.09.2009 ग्राम करनाहेडा के कॉलम नंबर 16 मे हल्का पटवारी की [illegible] के अनुसार मुताबिक विक्रय पत्र रजिस्ट्री के आधार पर खसरा नंबर 245 रकबा 0.75 [illegible] पर विक्रेता रामदयाल, कमलेश हिस्सा 2/3 पर क्रेता पार्वती बाई पत्नी [illegible] जाति मीना निवासी बामनहेडा हिस्सा 2/3 पर नामान्तकरण दर्ज कर उचित आदेशार्थ पेश है। वाद जांच तस्दीक फरमावे,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:56 IST
Reason: SelfAttested

उप [illegible] अधिकारी
बारॉ

Scanned with CamScanner

नोट अंकित है। भू–अभिलेख निरीक्षक सर्किल फतेहपुर द्वारा जांच कर मुताबिक रजिस्ट्री बेचान अंकन सही है, माना गया है। उक्त पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2009 के अनुसार खातेदार रामदयाल कमलेश, पुत्र मांग्या ग्यारसीबाई बेवा मांग्या मनभर बाई, धूली बाई उर्फ भूली बाई भवरीबाई पुत्रियां माग्या जाति भील निवासी करनाहेडा का नाम विक्रेता के रूप मे प्रथम पृष्ठ पर अंकित है, माल ग्राम करनाहेडा तहसील बारां की आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 0.75 हेक्टेयर भूमि को बिल एवज जर्ये मूल्य 360000/–रू. में क्रेता पार्वती बाई पत्नी रामकिशन जाति मीना निवासी बामनहेडा तहसील बारां को बेचान की गई है। इससे यह साबित होता है, कि खातेदारान द्वारा खसरा नंबर 245 रकबा 0.75 हेक्टेयर भूमि का बेचान किया गया है, बिक्रय पत्र दिनांक 27.07.2009 पर सम्पूर्ण खातेदारान के हस्ताक्षर है इससे यह साबित होता है कि ख0नं0 245 रकवा 0.75 हे0 भूमि सम्पूर्ण खातेदारान की सहमति से बेचान की गई है अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इन्तकाल नं0 494 वाके ग्राम करनाहेडा खारिज किया जाकर पुनः तहसीलदार बारां को मुताविक विक्रय पत्र नामा0 खोलने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण नं0 494 ग्राम करनाहेडा खारिज किया जाता है तहसीलदार बारां को मुताविक विक्रय पत्र पुनः नामान्तरकरण खोलने हेतु रिमाण्ड किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी / आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner